

विदिध बैंक प्र0सं0 74/2017 भारतीय स्टेट बैंक शाखा हनुमानगढ़ रोड श्रीगंगानगर बनाम  
1-श्री संदीप सोनी पुत्र ओमप्रकाश सोनी निवासी गांव चक 12 जैड तहसील व जिला  
श्रीगंगानगर-मूल ऋणी हाल निवास 47 रिद्धि सिद्धि एन्कलेव द्वितीय, श्रीगंगानगर 2-  
श्रीमति मालादेवी पत्नि श्री संदीप सोनी निवासी गांव चक 12 जैड तहसील व जिला  
श्रीगंगानगर-सहऋणी हाल निवास 47 रिद्धि सिद्धि एन्कलेव द्वितीय, श्रीगंगानगर


25.09.2017

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के अभिभाषक श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित है। प्रार्थी बैंक के अभिभाषक श्री भारत भूषण महेन्द्रा की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक भारत भूषण महेन्द्रा का कथन है कि प्रार्थी बैंक द्वारा एक प्र0 पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है (जिसे आगे अधिनियम कहा जाकर सम्बोधित किया जावेगा) कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी श्री संदीप सोनी पुत्र श्री ओमप्रकाश सोनी निवासी चक 12 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल निवास 47 रिद्धि सिद्धि एन्कलेव द्वितीय, श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में 15,00,000रूपये (अखरे पन्द्रह लाख मात्र) ऋण दिनांक 21.10.2016 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण श्री संदीप सोनी ऋणी व श्रीमति माला देवी सहऋणी ने अपनी रिहायशी सम्पति (भूमि एवं निर्मित इमारत) चक 12-जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 50'X100' कुल 5000 वर्गफुट प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज का भुगतान समय पर नहीं किया गया है जिस कारण उसका ऋण खाता दिनांक 12.04.17 को एन.पी.ए. हो गया। अप्रार्थीगण की ओर दिनांक 02.05.2017 को ऋण राशि 15,47,103रूपये एवंम इसके बाद का ब्याज व अन्य खर्च बकाया है। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजि0 नोटिस दिनांक 03.05.2017 को भिजवाया गया था नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इसलिए अप्रार्थीगण श्री संदीप सोनी ऋणी एवं श्रीमति माला देवी सहऋणी द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी रिहायशी सम्पति (भूमि एवं निर्मित इमारत) चक 12-जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 50'X100' कुल 5000 वर्गफुट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलवाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक द्वारा कुल 15,00,000- रूपये (अखरे पन्द्रह लाख मात्र) का ऋण दिनांक 21.10.2016 को अप्रार्थी श्री संदीप सोनी को स्वीकृत किया था जिसकी सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण श्री संदीप सोनी ऋणी व श्रीमति माला देवी सहऋणी द्वारा अपनी रिहायशी सम्पति (भूमि एवं निर्मित इमारत) चक 12-जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 50'X100' कुल 5000 वर्गफुट प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की ऋण राशि का भुगतान नियमित रूप से न किया जाने के कारण उसका ऋण खाता दिनांक 12.04.2017 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया और धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 03.05.2017 को बकाया राशि 15,47,103-रूपये जमा करवाने के लिए 60 दिवस का रजि0 ए.डी. नोटिस जारी किया गया।

AB



श्रीगंगानगर  
जिला कलेक्टर

प्रार्थी बैंक द्वारा प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 14 के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के रजि० नोटिस की तामील होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण से उक्त नोटिस पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप या कोई अभ्यावेदन बैंक को प्राप्त नहीं हुआ है और न ही उनके द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी रिहायशी सम्पत्ति (भूमि एवं निर्मित इमारत) चक 12-जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 50'x100' कुल 5000 वर्गफुट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाने की प्रार्थना की गयी है।

चूंकि प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त भिजवाये गये धारा 13(2) के रजि. ए.डी. नोटिस पर अप्रार्थीगण श्री संदीप सोनी ऋणी एवं श्रीमति मालादेवी सहऋणी स्वयं द्वारा प्राप्त किये गये हैं परिणाम स्वरूप अप्रार्थीगण श्री संदीप सोनी ऋणी एवं श्रीमति मालादेवी सहऋणी के नोटिस पर प्राप्ति के हस्ताक्षर हैं। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई है एवं प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र के अनुसार भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी नोटिस के जबाब में कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्रार्थी बैंक को प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण श्री संदीप सोनी ऋणी एवं श्रीमति माला देवी सहऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पास ऋण की सुरक्षा की एवज में बन्धक रखी गयी रिहायशी सम्पत्ति (भूमि एवं निर्मित इमारत) चक 12-जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 50'x100' कुल 5000 वर्गफुट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीगण श्री संदीप सोनी एवं श्रीमति मालादेवी सहऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पास ऋण की सुरक्षा की एवज में बन्धक रखी गयी रिहायशी सम्पत्ति (भूमि एवं निर्मित इमारत) चक 12-जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 50'x100' कुल 5000 वर्गफुट का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु उनके चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली बाद तर्तीब तकमिल दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना राम  
( ज्ञाना राम )  
जिला मजिस्ट्रेट  
श्री गंगानगर

80  
17